Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

* Vol-3* *Issue-5* *May 2026*

www.researchvidyapith.com ISSN (Online): 3048-7331

नया आयकर अधिनियम 2025: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ0 हीरालाल

असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य, राजकीय महाविद्यालय गनेशपुरा, बबीना, झांसी

Article Info: *(Recieved- 07/03/2026, Accept- 10/04/2026, Published- 10/05/2026)*

DOI- 10.70650/rvimj.2026v3i5007

सारांश: केन्द्र सरकार के राजस्व प्राप्ति के रूप में आयकर की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आयकर से सम्बंधित विभिन्न नियमों में संशोधन प्रति वर्ष किए जाते है। इन नियमों के परिवर्तन की आवश्यकता समयानुसार आयकर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनना प्रमुख उदेश्य होता है। इस शोध पत्र में भारत में आयकर की प्रकृति करो की दरो तथा राजस्व प्राप्ति सम्बंधी पहलुओं का अध्ययन किया गया है। साथ ही नये आयकर अधिनियम 2025 का विश्लेषणात्मक अध्ययन भी इस शोध पत्र में किया गया है जिससें नये आयकर कानून 2025 को भलिभाँति अध्ययन कर पूर्व और नये कानून के बीच फर्क को समझा जा सके।

कुजी: आयकर, राजस्व, आयकर संशोधन, आयकर कानून।

प्रस्तावना: भारत में आरोपित आयकर की शुरूआत 1857 की क्रान्ति के द्वारा हुई हानि के पूर्ति हेतु दण्डात्यक रूप में की गई थी। देश में क्रान्ति के उपरांत उत्पन्न वित्तीय संकट की पूर्ति हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा आय के एक मुख्य स्रोत के रूप में प्रयुक्त किया गया। ब्रिटिश अधिकारी सर जेम्स विल्सन द्वारा लगाया और जिसे आयकर अधिनियम 1860 के रूप में जाना जाता है। यह वह समय था जब भारत का शासन ईस्ट इण्डिया कम्पनी से ब्रिटिश सम्राट के हाथ में हस्तांरित कर दिया गया था। इस आयकर अधिनियम के अन्तर्गत चार प्रकार की आयों पर आयकर लगाने का प्रावधान किया गया था वेतन और पेशंन, प्रतिभूतियों से आय, भूमि एवं सम्पत्ति से आय, व्यापार या पेशों की आय। आयकर अधिनियम 1860 जो कि 1 अप्रैल 1861 से प्रभावी रूप से लागू किया गया था तथा समयानुसार एवं आवश्यकतानुसार इस अधिनियम में संशोधन भी किये जाते रहे है जैसे 1863,1867,1871,1873,1880,1886,1922,1936,1939,1956,1958, एवं 1961। आयकर अधिनियम 1961 जो 1 अप्रैल 1962 से सम्पूर्ण देश में प्रभावी हुआ या जिसकों संशोधित कर नया आयकर अधिनियम 2025 पारित किया गया। भारत में आयकर एक प्रव्यक्ष कर की श्रेणी में रखा गया है। जो केन्द्र सरकारों द्वारा व्यक्तियों एवं व्यवसाओं पर सार्वजनिक सेवाओं तथा विकास की योजनाओं की पूर्ति हेतु धन जुटाने के लिए लगाया जाता हैं। भारत में आयकर की प्रकृति आमतौर पर प्रगतिशील कर के रूप में है जिसका तात्पर्य है कि आय बढ़ने के साथ आयकर की दरें भी बढ़ती है और यह आय के साथ, जैसे वेतन, मकान सम्पत्ति, पूँजी लाभ व्यवसाय एवं पेशे के लाभ के आधार पर भिन्न होते है। इस प्रकार हम कह सकते है कि भारत में आयकर की प्रमुख प्रकृति विशेषताओं में यह प्रव्यक्ष कर, प्रगतिशील कर, सरकार द्वारा प्रशासित कर मुक्त सीमा, आय से स्रोत, दोहरी कर व्यवस्था एवं निवासी स्थान पर आधारित है। भारत में आयकर लगाने का प्रमुख उददेश्य राजस्व की प्राप्ति के रूप में देखा जाता है। ताकि देश के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे सार्वजनिक कार्यो को वित्तपोषित किया जा सके। यह भारत में उत्पन्न सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने, आर्थिक स्थिरता को स्थिर रखने, निवेश और व्यापार/व्यवसाय को प्रोत्साहित करने का एक बहुत ही महात्वपूर्ण उपकरण के रूप में माना जाता है। इस प्रकर आयकर राजस्व सृजन, आर्थिक समानता, और पुर्नवितरण, आर्थिक विकास, स्थिरता, सामाजिक, आर्थिक उददेश्य तथा कर अनुपालन को बढ़ावा देना इसके प्रमुख उददेश्य के रूप में समझे जाते है। देश में 64 साल बाद नया आयकर अधिनियम 2025 पारित होकर 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है। इस नये आयकर कानून का मुख्य उददेश्य कानूनों को सरल आधुनिक एवं पारदर्शी बनाना है। इस कानून के माध्यम से आयकर अधि ानियम 1961 में विद्यमान 50: से अधिक धाराओं को कम किया गया है। गतवर्ष और कर निर्धारण वर्ष जैसे

महत्वपूर्ण शब्दों को हटाकर टैक्स ईयर की अवधारणा लाई गई है। नये आयकर अधिनियम में नया कर वर्ष अर्थात ''टैक्स ईयर'' (1 अप्रैल से 31 मार्च) का उपयोग होगा। 1961 के आयकर की जटिल भाषाओं को हटाकर कानून को सरल और स्पष्ट बनाया गया है। यह आयकर अधिनियम करदाता के अनुकूल है। डिजिटल अनुपालन, मुकदमेबाजी में कमी, दण्ड में सुधार आदि चीजों को शामिल किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्यः प्रस्तुत शोध पत्र के निम्नलिखित उददेश्य है–

1. भारत में नये आयकर अधिनियम 2025 का विश्लेषणात्मक अध्ययन।

2. पुराने और नये आयकर कानूनों के मध्य के अन्तर का अध्ययन।

शोध प्रविधिः शोध पत्र की प्रकृति विवरणात्मक है। शोध पत्र पूर्णतया द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। शोध कार्य हेतु शोध सामग्री के संकलन हेतु प्रकाशित संबंधित शोध पत्र, लेख, पुस्तक, पत्र–पत्रिकाओं, सरकारी रिपोर्ट, इन्टरनेट वेबसाइट इत्यादि का सहारा लिया गया है।

भारत में नये आयकर अधिनियम 2025 का विश्लेषणात्मक अध्ययनः

आयकर अधिनियम 2025 जोकि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुआ है भारत में 64 वर्ष बाद नये आयकर अधिनियम 2025 लाया गया है जिसका उददेश्य पारदर्शिता समानता और दक्षता को बढ़ाना है। भारतीय संसद में गहन विचार विमर्श के पश्चात संसद द्वारा अधिनियमित यह कानून वैश्विक सर्वोत्तम प्रयासों और घरेलू आकांक्षाओ के अनुरूप कर संरचना के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कर स्लैब को सरल बनाने, छूट को तर्कसंगत बनाने और डिजिटल अनुपालन को एकीकृत करके अधिनियम स्वैच्छिक अनुपालन की संस्कृति में बढ़ावा देते हुए प्रशासानिक बोझ को कम करने का प्रयास करता है। नये आयकर कानून को अस्तित्व में लाने से पूर्व प्रचलित निवर्तमान आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा की गई इसके परिणामस्वरूप आयकर विधेयक 2025 प्रस्तुत किया गया। जिसे विस्तृत जाँच के लिए संसद की प्रवर समिति के पास भेजा गया। हित धारकों से व्यापक सिफारिर्शे और सुझाव प्राप्त करने के पश्चात सरकार ने मूल विधेयक वापस लेने और संशोधि ात संस्करण आयकर विधेयक 2025 पेश करने का निर्णय किया गया तथा इसे मानसनू सत्र में संसद के दोनों सदनो द्वारा पारित किया गया और अब यह भारत के नए आयकर ढ़ाचे की नींव है।

आयकर अधिनियम 2025 के प्रमुख उद्देश्य

सरलीकरणः आयकर अधिनियम 1961 की भाषा और अनावश्यक प्रावधानों को स्पष्ट संक्षिप्त और आधुनिक कानूनी भाषा में बदलकर सरलीकरण करने का कार्य करना।

डिजिटल एकीकरणः मानव इंटरफेस और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए फेसलेस मूल्यांकन और डिजिटल अनुपालन को सक्षम बनाना।

करदाता केंद्रित दृष्टिकोणः फाइलिंग की सुविधा में सुधार कर मुकदमेबाजी में कमी तथा पारदर्शिता में वृद्धि करना।

वैश्विक तालमेल स्थापित करनाः डिजिटल परिसंम्पत्तियों पर कराघात और वैश्विक आय सहित समकालीन आर्थिक वास्तविकताओं को दर्शाना।

आय कर की दरें/स्लैब

नये आयकर अधिनियम 2025 में कर के स्लैबः वित्तीय वर्ष 2025–26/2026–27 के लिए नये आयकर स्लैब (नई कर व्यवस्था):

0 से 4 लाख रूपये तक	0%
4 से 8 लाख रूपये तक	5%
8 से 12 लाख रूपये तक	10%
12 से 16 लाख रूपये तक	15%
16 से 20 लाख रूपये तक	20%
20 से 24 लाख रूपये तक	25%
24 लाख रूपये से अधिक पर	30%

मुख्य बिन्दुः

1. मानकः 75,000 रूपये (वेतन भोगी व्यक्तियों के लिए)

2. 12 लाख रूपये तक कर मुक्त सीमाः यदि आपकी आय 12,00,000 रूपये है तो 75,000 की मानक

कटौती के बाद कर योग्य आय 11.25 लाख रूपये होती है लेकिन आय कर छूट की धारा 87। के तहत 12 लाख रूपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

3. डिफॉल्ट व्यवस्थाः नई कर व्यवस्था अब डिफॉल्ट रूप से लागू होती है। पुरानी व्यवस्था के लिए आपको विकल्प चुनना होगा।

4. पुरानी कर व्यवस्थाः इस आयकर अधिनियम के अन्तर्गत पुरानी कर व्यवस्था (वसक जंग तमहपउम) में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

5. स्वास्थ्य और िाक्षा उपकर एवं अधिभारः कर की राशि की गणना पर 4ः स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर अलग से लगेगा। तथा अधिभार का भी प्रावधान किया गया है।

आयकर अधिनियम 2025 के प्रमुख बिन्दुः

- नया आयकर अधिनियम 2025 (1अप्रैल 2026 से प्रभावी)सरलीकरण, डिजिटल अनुपालन और कम मुकदमों पर केंद्रित है।
- इसमें कुल धाराएं 819 से घटकर 536 और फॉर्म 390 से घटकर 190 रह गए है।
- यह असेसमेंट ईयर की जगह ''टैक्स ईयर'' का उपयोग करता है।
- नई व्यवस्था (new tax regime) डिफॉल्ट बनी रहेगी।
- वर्चुअल डिजिटल एसेटस (क्रिप्टो) पर स्पष्ट नियम लागू किए गए है।
- नए अधिनियम में प्रावधानों की 23 अध्ययनों में करके 536 खण्डों में पुनर्गठित किया गया है।

आयकर अधिनियम 2025 में संरचनात्मक परिवर्तन

क्र0सं0	विवरण	आयकर अधिनियम 1961	आयकर अधिनियम 2025
1.	अनुभागों की संख्या	700 से अधिक	536
2.	अध्यायों की संख्या	23	23
3.	अनुसूचियों की संख्या	14	16
4.	विशय वस्तु पृश्ठों के संदर्भ में	823	622
5.	प्रभावी तिथि	31 मार्च 2026 तक प्रभावी	1 अप्रैल 2026 से प्रभावी

यद्यपि कानून की संरचना में बदलाव आया है, लेकिन कर प्रणाली काफी हद तक पहले जैसी ही है। इन परिवर्तनों के प्रमुख उददेश्य कर नियमों को सरल बनाना है।

निष्कर्षः नया आयकर अधिनियम 2025 देश की प्रत्पक्ष कर व्यवस्था को एक सरल और अधिक पारदर्शी, डिजिटीकरण एवं मुकदमेंबाजी को कम करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस आयकर अधिनियम का मूल मंत्र है ''न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन''। यह अधिनियम कर कानून को करदाता केन्द्रित बनाकर स्वैच्छिक अनुपालन बढ़ाएगा, प्रशासनिक दक्षता लाएगा तथा ''ईज ऑफ डूरंग विजनेस'' को बढ़ावा देगा। इस अधिनियम की सफलता बहुत हद तक इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

संदर्भ सूची–

1. डॉ0 कुमार राज, (2018), भारत में आयकर का संक्षिप्त इतिहासः एक अध्ययन प्श्रैत्ज टवस्न्डम 4 प्ेन्म 10

2. आयकर अधिनियम 2025: कर संरचना का नया स्वरूप Press Information Bureau Govt. of India.
3. जैन चन्द्र प्रकाश, (2017), भारत में व्यक्तिगत करदाता की आय पर कर सुधारों का प्रभाव और निहितार्थः एक प्रारंभिक अध्ययनः ओडिशा जर्नल ऑफ वाणिज्य, प्रष्ठ सं0– 12–17
4. अग्रवाल विजय, शर्मा पायल, (2015), भारत में आयकर का इतिहास एवं बदलता स्वरूप, IJRSS volume3 Issue –I
5. Chaudhri Sweta at all, The various sources of income & income tax liability of an Individual assesses.
6. https://www.incometaxindia.gov.in
7. Chakraborty Sneha (2026),Income tax policy 2025: A Comprehensive Analysis Times of India Feb.26, 2026.
8. Sharma Ramakant & Jain Prema (2026), A Critical Analysis of the Proposed New Income tax code 2025 in Comparison with the income tax act 1961, IJIRA 06(01))(I):109-119.

Cite this Article

'डॉ0 हीरालाल', "नया आयकर अधिनियम 2025: एक विश्ले□णात्मक अध्ययन", Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal, ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:3, Issue:5, May 2026.

"Copyright © 2026 The Author(s). This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY), allowing others to use, share, modify, and distribute it with proper credit to the author."